संख्या–156/XXVII(1)/2015

पत्रावली सं० 158 सी
(47)

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2015

विषयः–निर्माण कार्यों के आगणनों का तकनीकी परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों को तकनीकी परीक्षण हेतु टी०ए०सी० वित्त को संदर्भित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत समस्त तकनीकी विभागों जैसे लोक निर्माण, सिंचाई/लघु सिंचाई, पेयजल तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के आगणन भी परीक्षण हेतु टी०ए०सी० वित्त को संदर्भित किये जाते हैं जबकि इन तकनीकी विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष स्तर के तकनीकी कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है, जिससे टी०ए०सी० वित्त पर अत्यंधिक कार्यभार आ जाता है तथा कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि उक्त तकनीकी विभाग आगणनों का तकनीकी परीक्षण अपने स्तर पर करने में समर्थ है। अतः योजनाओं के त्वरित निस्तारण/स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग, सिंचाई/लघु सिंचाई, पेयजल तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग ₹ 5.00 करोड़ तक की योजनाओं के आगणनों को अपने स्तर पर टी०ए०सी० करने के उपरान्त शासन को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। वित्त विभाग तथा नियोजन विभाग द्वारा उक्त निर्माण कार्यों/योजनाओं की अनिवार्य रूप से रेन्डम चैकिंग की जायेगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

पं०-587/158सी-9/15 दिनांक 26/2/15

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्राचार्य/ निर्माण/कल्याण ... देहरादून/ ... को शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि ... एवं गार्ड फाईल हेतु

26/2/2015

भवदीय

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव